अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फ. सं. एल-विविध/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनी को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने और उसका विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008, में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है नामत् : :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण**

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस के विपणन तथा (कंपनी को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने और उसका विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनी को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने और उसका विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008, के विनियम 21 के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामत् : :—

"21. विविध.

इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।" ।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 340(अ) दिनांक 06-05-2008 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और सा.का.नि. 802(अ) दिनांक 19-11-2008, सा.का.नि. 769(अ) दिनांक 20-10-2009, सा.का.नि. 38(अ) दिनांक 18/01/2010, सा.का.नि. 480(अ) दिनांक 17-06-2010, सा.का.नि. 594(अ) दिनांक 09-07-2010, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48 दिनांक 17-02-2014 तथा फा. सं. पीएनजी- आरबी/रेग्युलेशंस/अमेंड-2014 दिनांक 08-08-2014 के माध्यम से संशोधित किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F. No. L-MISC/VI/I/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008, namely:—

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For regulation 21 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008, the following shall be substituted, namely:—

"21. Miscellaneous.

If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.".

K. RAJESWARA RAO, OSD (R)

[ADVT. III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 340(E) dated 06/05/2008 and amended *vide* G.S.R. 802(E) dated 19-11-2008, G.S.R. 769(E) dated 20-10-2009, G.S.R. 38(E) dated 18-01-2010, G.S.R. 480(E) dated 07-06-2010, G.S.R. 594(E) dated 09-07-2010, F. No. PNGRB/M(C)/48 dated 17-02-2014 and F. No. PNGRB/REGULATIONS/AMEND-2014 dated 8-8-2014.